

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 170/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. राजकुमार पुत्र उदाराम जाति सुथार निवासी न्योलखी हाल वार्ड नम्बर 25 ढाका कॉलोनी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
2. पार्वती पत्नि उदाराम जाति सुथार निवासी न्योलखी हाल वार्ड नम्बर 25 ढाका कॉलोनी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
3. कान्ता पुत्री उदाराम जाति सुथार निवासी न्योलखी हाल वार्ड नम्बर 25 ढाका कॉलोनी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, जिला हनुमानगढ।
2. पवन उर्फ राजकुमार पुत्र उदाराम जाति सुथार निवासी न्योलखी हाल वार्ड नम्बर 25 ढाका कॉलोनी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
3. पारो उर्फ पार्वती पत्नि उदाराम जाति सुथार निवासी न्योलखी हाल वार्ड नम्बर 25 ढाका कॉलोनी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।
4. रूकमा उर्फ कान्त पुत्री उदाराम जाति सुथार निवासी न्योलखी हाल वार्ड नम्बर 25 ढाका कॉलोनी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री सुरेन्द्रकुमार हुड्डा वकील-वादीगण
पेरोकार राज-प्रतिवादी सं० 1

निर्णय दिनांक- 02-09-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सुरेन्द्रकुमार हुड्डा वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा न्यौलखी बारानी के खाता सं. 17/17 के ख.नं. 207 की 3.136 है. खातेदारी भूमि में दर्ज वादीगण का नाम पवन पुत्र उदाराम के स्थान पर राजकुमार पुत्र उदाराम, पारीदेवी पत्नी उदाराम के स्थान पार्वती पत्नी उदाराम, रूकमा पुत्री उदाराम के स्थान पर कान्ता पुत्री उदाराम दरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02-09-2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

